(ग) क्या सरकार सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, रांची के बढोरी प्रोजेक्ट में कोयला भंडार के उत्पादन तथा उसके भार में की गई धांधली की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इण्डिया लिमिटेड ने सूचित किया है कि सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी० सी० एल०) में बधारी परियोजना नामक कोई परियोजना विद्यमान नहीं है। कोल इण्डिया लिमिटेड ने यह भी उल्लेख किया है कि कोयला से संबंध अधिकारियों की मिलीभगत के साथ सैन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टॉकों में रेत तथा मिट्टी मिलाने संबंधी हेरा फेरी की कोई घटना नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता है।

बिहार में कोयले का अवैध रूप से खनन

295 श्री गया सिंह: क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लिमिटेड की बिहार स्थित कितनी कोयला खानों में अवैध रूप से कोयला निकाला जा रहा है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इण्डिया लि० (को० इ० लि०) की बिहार में कार्यरत 3 कोयला कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार असामाजिक तत्वों तथा बदमाश व्यक्तियों द्वारा कोयले की चोरी/उठाईगीरी किए जाने के संबंध में कुछ मामले बिहार के 40 स्थानों से ऐसे मामले नोटिस में आए हैं। जिसमें बंद पड़ी ओपनकास्ट तथा भूमिगत खानों से छुटपुट रूप में कोयले का गैर कानूनी रूप में उत्खनन किया जाना शामिल है। इन स्थानों में दामोदर नदी तल की कोयला के विनिर्दिष्ट क्षेत्र, दृश्यांश, बंद पड़ी, समाप्त हुई ओपनकास्ट तथा भूमिगत खानें शामिल हैं।

(ख) कोयले के गैर-कानूनी रूप से किए जा रहे खनन क्रियाकलापों को रोके जाने तथा बंद किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) जहां तक संभव होता है बंद पड़ी सभी भूमिगत खानों के प्रवेशों को व्यक्तियों की पहुंच से रोकने के लिए ठीक तरह से सील कर दिया जाता है।

(2) बंद पड़ी ओपनकास्ट खानों में विनिर्दिष्ट बैचों को ऊपरी मलबे से ढक दिया जाता है।

(3) कोयला कम्पनियों के सुरक्षा बलों तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों द्वारा गैर कानूनी रूप से किए गए जा रहे खनन कार्य को रोकने के लिए अचानक छापे मारे जाते हैं।

(4) जिला प्राधिकारियों के साथ निकटतम संपर्क तथा बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि गैर-कानूनी रूप से किए जा रहे उत्खनन कार्य को रोकने के लिए जिला प्रशासन से सहयोग तथा सहायता ली जा सके, जिसमें संयुक्त रूप से मारे जाने वाले छापे शामिल हैं।

(5) खनन क्रियाकलापों में गैर-कानूनी रूप से अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को जब पकड़ा जाता है तो उन्हें जिला प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है।

(6) सूचना प्राप्त किए जाने के आयोजन से तथा छापे मारे जाने के लिए आसूचना स्रोतों/मुखबिर व्यवस्था को प्रोन्नत तथा बनाए रखना।

(7) जिला प्राधिकारियों को गैर-कानूनी रूप से हो रहे खनन के मामलों की रिपोर्ट करना तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना।

(8) इलेक्ट्रानिकी संचार नेटवर्क का अनुरक्षण तथा विकास करना।